न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील आर्य (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 12 / 24 (विविध)
जीसीएमएस संख्या – 2024 / 147

उनवान

विरमजीत पुत्र छत्तर सिंह उम्र करीब 65 वर्ष जाति गुर्जर निवासी कचेलपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0।

..................रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दि0 07.10.2024 प्र0स 18 / 23 विरमजीत बनाम तहसीलदार बाडी।

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे एवं श्री रामअवतार गौड अधिवक्ता अपीलाण्ट।
अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03.01.2025

1. यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 07.10.2024 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जा0दी0 इन तथ्यों के साथा पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1586 / 1789 वाके ग्राम बिजौली तहसील बाडी जिला धौलपुर में रकवा 05 बीघा प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई होतम सिंह को आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 से आवंटन हुयी थी एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 200 से राजस्व अभिलेख में प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई को गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी रैस्पो0 द्वारा दिनांक 09.12.2002 को प्रार्थना पत्र आवंटन को निरस्त कराने हेतु 14(4) न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के यहां प्रस्तुत किया, जो दिनांक 27.01.2003 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई होतम सिंह का आवंटन निरस्त कर दिया एवं उक्त आदेश की अनुपालना में विवादित आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिया। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 27.01.2003 के विरूद्ध प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई होतम ने न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो

दिनांक 21.07.2023 से स्वीकार करते हुये, जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 27.01.2003 को निरस्त फरमा दिया। न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी रैस्पो० द्वारा आज तक सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः राजस्व अभिलेख में पूर्ववर्ती इन्द्राज स्वतः ही प्रभाव में आ जाते हैं। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो० ने आज तक पूर्ववर्ती इंद्राजो को राजस्व अभिलेख में बहाल नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में पूर्ववर्ती इंद्राजो को बहाल करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो० को तलव किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से बार–बार आवाज दिलवाये जाने के पश्चात् भी कोई हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। यह है कि अपीलाण्ट के भाई होतम सिंह को आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 से विवादित आराजी आवंटन हुयी थी एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 200 से राजस्व अभिलेख में प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई को गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी रैस्पो० द्वारा दिनांक 09.12.2002 को प्रार्थना पत्र आवंटन को निरस्त कराने हेतु 14(4) न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, जो दिनांक 27.01.2003 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई होतम सिंह का आवंटन निरस्त कर दिया एवं उक्त आदेश की अनुपालना में विवादित आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिया। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 27.01.2003 के विरूद्ध प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई होतम ने न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 21.07.2023 से स्वीकार करते हुये, जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 27.01.2003 को निरस्त फरमा दिया। न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी रैस्पो० द्वारा आज तक सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः राजस्व अभिलेख में पूर्ववर्ती इन्द्राज स्वतः ही प्रभाव में आ जाते हैं। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। प्रार्थी अपीलाण्ट के भाई होतम सिंह का निधन लाबल्द विला औरत हो चुका है। अतः प्रार्थी अपीलाण्ट ही उनके प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2005 पेज 120 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया गया। हम पाते हैं कि अपीलाधीन आदेश श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय धौलपुर द्वारा पारित किया गया है। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना 1(17) राजस्व – 6/2019/112 जयपुर दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। अतः हम न्यायहित में अपील अपीलाण्ट माननीय श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट माननीय अति. संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली न्यायालय से स्थानान्तरित की जाकर, नंबर से कम की जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर